सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

प्रकरण संख्या:— 213 / प्रा0पत्र / 2022 दायरा दिनांक :—06.12.2022

GCMS ID—2022 / 102

उनवान

1. अनवर अली आ0 अमीर खां जाति मुस0 निवासी ग्राम डाबला तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
2. सनवर अली आ0 अमीर खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम डाबला तहसील हिण्डोली
3. मडी पत्नी स्व0 मुस्ताक अमीर खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम डाबला तहसील हिण्डोली जिला बन्दी।
4. शराफत आ0 मुस्ताक जाति मुसलमान निवासी ग्राम डाबला तह0 हिण्डोली जिला बन्दी।
5. शोकत आ0 मुस्ताक जाति मुसलमान निवासी ग्राम डाबला तहसील हिण्डोली जिला बन्दी।
6. ईशाक आ0 अमीर खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम डाबला तहसील हिण्डोली जिला बन्दी।
7. कयूम आ0 अमीर खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम डाबला तहसील हिण्डोली जिला बन्दी।
8. आरीज आ0 मुस्ताक नाबालिग जर्ये संरक्षक माता मडी पत्नी मुस्ताक जाति मुसलमान निवासी ग्राम डाबला तहसील हिण्डोली जिला बन्दी।
9. शारूख आ0 मुस्ताक नाबालिग जर्ये संरक्षक माता मडी पत्नी मुस्ताक जाति मुसलमान निवासी ग्राम डाबला तहसील हिण्डोली जिला बन्दी।

प्रार्थीगण

बनाम

1. छोटा पत्नी शरीफ मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी ग्राम डाबला पुलिया जैन मंदिर के पास डाबला तहसील हिण्डोली जिला बन्दी।

अप्रार्थीया

प्रार्थना पत्र :— राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के तहत

वकील प्रार्थी :— श्री शम्भूदयाल शर्मा

वकील अप्रार्थीगण :— श्री रामेश्वर प्रसाद रेगर

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

आदेश

दिनांक : 30.05.2025

प्रार्थीगण का मुख्य रूप से कथन है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 170, 172, 177, 182, 184, 185, 193, 195, 400, 401 कुल किता 10 कुल रकबा 4.0306 हैक्टेयर वाके ग्राम डाबला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है जो जमाबंदी संवत 2076–79 की खतोनी संख्या 4 में प्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज है। भूमि की जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि खसरा संख्या 182 पर आने जाने हेतु मौके पर एवं रिकॉर्ड में कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 184 के सहारे रिकॉर्डेड रास्ता खसरा संख्या 427 मौके पर बना हुआ है और प्रार्थीगण उक्त रिकॉर्डेड रास्ते से अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 184, 185 पर पहुंचते है। प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 184 व 182 के बीच में अप्रार्थीया की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 183 विस्थित है। प्रार्थीगण रिकॉर्डेड रास्ता खसरा संख्या 427 से अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 184 पर पहुंचने के बाद अप्रार्थी से अनुनय विनय कर उसकी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 183 की दक्षिणी सीमा में होकर अपनी भूमि खसरा संख्या 182 पर काश्त करते है, लेकिन वर्तमान में भूमि की कीमते बढ जाने के कारण अप्रार्थीया के मन में बदनीयती आ जाने के कारण अप्रार्थीया अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 183 पर होकर प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 182 पर आने जाने में दखलंदाजी कर रही है। अप्रार्थीया ने कहा कि मैं मेरी भूमि खसरा संख्या 183 पर होकर तुम्हारी भूमि खसरा संख्या 182 पर नहीं जाने दूंगी, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के समक्ष अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 184 से खसरा संख्या 183 की दक्षिणी सीमा पर 15 फिट चौडा रास्ता खसरा संख्या 182 तक घोषित कराने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहा है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 184 से खसरा संख्या 182 तक खसरा संख्या 183 की दक्षिणी सीमा पर 15 फिट चौडा रास्ता घोषित करवाकर घोषित रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में दर्ज करवाना चाहते है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते को संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट अ में दर्शाया गया है जो प्रार्थना पत्र का भाग है। प्रार्थीगण खसरा संख्या 183 की दक्षिणी सीमा पर घोषित किये जाने वाले 15 फिट चोडे रास्ते की प्रतिकर राशि नियमानुसार जमा कराने को तैयार है। प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 182 पर पहुंचने का न तो कोई रिकॉर्डेड रास्ता है और न ही कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के अतिरिक्त भूमि पर पहुंच का अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नहीं है। साथ ही अप्रार्थीया की भूमि खसरा संख्या 183 की दक्षिणी सीमा पर मेड के सहारे रास्ता घोषित किये जाने से अप्रार्थीया की भूमि के टुकडे भी नहीं होंगे। चाहा गया रास्ता ही सबसे सुगम एवं उत्तम मार्ग है। अप्रार्थीया ने दिनांक 22.10.2022 को खसरा संख्या 183 की दक्षिणी सीमा पर होकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 182 पर आने जाने के लिए मना कर दिया है, इस कारण प्रार्थीगण को खसरा संख्या 183 पर रास्ते की

Email:sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

घोषणा करवाने का वाद कारण उत्पन्न हुआ है जो निरंतर जारी है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते की भूमि अप्रार्थीया की खातेदारी में ग्राम डाबला में विस्थित होने से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अवधि मध्य निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 184 से खसरा संख्या 182 की सीमा तक अप्रार्थीया की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 183 की दक्षिणी सीमा पर 15 फिट चौडा रास्ता नजरी नक्शे के अनुरूप घोषित किया जाकर रास्ते में अवाप्त भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने व घोषित रास्ते की नक्शे में तरमीम करवा कर रास्ते को चालू करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश कर कथन किया कि ग्राम डाबला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में कृषि भूमि स्थित होना स्वीकार है। भूमि खसरा संख्या 182 पर आने जाने हेतु मौके पर एवं रिकॉर्ड में कोई रास्ता नहीं होने, प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 184 के सहारे रिकॉर्डेट खसरा संख्या 427 की भूमि में हो कर प्रार्थीगणों के अपने खातेदारी भूमि खसरा संख्या 184, 185 पर पहुॅचने के तथ्य जिस प्रकार से अंकित किए गए है। वह अस्वीकार है। खसरा संख्या संख्या 427 से अपने खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 184 पर पहुॅचने के बाद अप्रार्थीया से अनुनय विनय कर उसके खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 183 पर पहुॅचने की दक्षिणी सीमा में हो कर अपनी कृषि भूमि खसरा संख्या 182 पर काश्त करने लेकिन वर्तमान में भूमि की कीमतें बढ जाने के कारण अप्रार्थीया के मनमें बदनियति आने जाने के कारण अप्रार्थीया द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 183 पर हो कर प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 182 पर आने जाने पर दखलंदाजी करने के जिस प्रकार से तथ्य अंकित किए गए है वह अस्वीकार है। प्रार्थीगण अपने खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 184 से खसरा संख्या 182 व 183 की दक्षिणी सीमा पर 15 फुट चोडा रास्ता घोषित करवा कर घोषित रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में दर्ज करवाना चाहने के तथ्य अस्वीकार है। प्रार्थीगण को अप्रार्थीया के खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 183 की दक्षिणी सीमा पर 15 फुट चौडा रास्ता घोषित करवाने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थीगणों की भूमि खसरा संख्या 182 पर पहुॅचने का कोई रास्ता व वैकल्पिक मार्ग नहीं होने से अप्रार्थीया की भूमि खसरा संख्या 183 की दक्षिणी सीमा पर मेड के सहारे रास्ता घोषित किए जासने एवं चाहा गया रास्ता सबसे सुगम व उत्तम मार्ग होने का तथ्य अस्वीकार है। अन्य आक्षेप अंकित कर कथन किया कि प्रार्थी द्वारा अपने खाते की कृषि भूमि खसरा संख्या 184 पर पहुॅचने के लिए अप्रार्थीया के खाते की कृषि भूमि खसरा संख्या 183 की दक्षिणी सीमा पर

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

15 फुट चौडा रास्ता घोषित करवाने के लिए उक्त वाद गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। प्रार्थीगण की खाते की कृषि भूमि खसरा संख्या 184, 185 के सामने उत्तर से दक्षिण खसरा संख्या 427 में रास्ता बना हुआ है। प्रार्थीगण उक्त रास्ते से होकर खाते की कृषि भूमि खसरा संख्या 184, 185 के मध्य बनी हुई मेड से होकर अपने खाते की कृषि भूमि संख्या 182 पर आते जाते है। प्रार्थीगण जानबूझ करं अप्रार्थीया के खाते की कृषि भूमि खसरा संख्या 183 को कृषि के अयोग्य करने एवं खराब करने के उद्देश्य से खसरा संख्या 183 में होकर 15 फुट चौडा रास्ता बनाना चाहते है। प्रार्थीगण के पास अपनी कृषि भूमि खसरा संख्या 182 में जाने के लिए रास्ता होने से प्रार्थीगणों को अप्रार्थीया के खाते की कृषि भूमि खसरा संख्या 183 की दक्षिणी सीमा पर 15 फुट चौडा रास्ता बनाने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि खसरा संख्या 182 पर आने जाने के लिए रास्ता उपलब्ध होने से प्रार्थीगणों के नया रास्ता बनाने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर अप्रार्थीया को परेशान करने के उद्देश्य से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारित होने योग्य है। प्रार्थीगण खसरा संख्या 184, 185 की मेड उसके उपरांत खसरा संख्या 186 कुंए की भूमि के पास बने हुए रास्ते से अपने खाते की भूमि खसरा संख्या 182 में वर्षो से आ जा रहे है। अप्रार्थीया भी उसी रास्ते से अपने खेत तक आती जाती है मौके पर रास्ता होने से प्रार्थीगण का उक्त नया रास्ता बनाने का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में तहसीलदार साहब हिण्डोली को पक्षकार नहीं बनाये जाने से प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र कानूनन चलने योग्य नही है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जाने के खारित फरमाया जावे।

प्रकरण में नायब तहसीलदार दबलाना की ओर से पत्रांक :–राजस्व/25/619 दिनांक :–02.05.2025 से प्रस्तावित रास्ते के बाबत जॉच रिपोर्ट पेश की जो शामिल मिसल है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी जाकर बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन किया। वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस कहा कि प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 184 से खसरा नम्बर 182 की सीमा तक अप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 183 की दक्षिणी सीमा पर 15 फिट चौडा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में घोषित किया जावे। इस बाबत नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा जो प्रस्तावित रास्ता बताया गया है, उसकी घोषणा की जावे। प्रार्थीगण इस

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

बाबत निर्धारित प्रतिकर राशि जमा कराने को तैयार है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया।

वकील प्रार्थीगण के उक्त तथ्यों के खण्डन में अप्रार्थीया ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी रास्ते की आड में प्रार्थीया की भूमि पर कब्जा कर अपनी भूमि का विस्तार करना चाहते है। प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 184, 185 के सामने खसरा संख्या 427 में रास्ता बना हुआ है, जिस पर होकर प्रार्थी अपने खाते की भूमियों पर आते .जाते है। प्रार्थीगण जानबूझकर मेरी कृषि भूमि में रास्ता घोषित करवाना चाहते है। जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं है। पूर्व में रास्ता होने और तहसीलदार हिण्डोली को पक्षकार नहीं बनाये जाने से भी प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण मे नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु अप्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 183 में से 13 फिट चौडा रास्ता प्रस्तावित किया गया है। प्रार्थीगण को उक्त रास्ते की वास्तविक आवश्यकता होना व खसरा संख्या 182 में जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं होना एंव चाहा गया रास्ता सुगम व लघुत्तम होना अंकित किया है। वकील अप्रार्थीया द्वारा अपने कथनों संबंध में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया है जिससे कि प्रार्थीगण के पास पूर्व में वैकल्पिक रास्ता होना प्रमाणित हो। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को रास्ते की वास्तविक आवश्यकता होने व अन्य वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं होने से रास्ते बाबत चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

—: क्रियात्मक आदेश :—

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि खाता संख्या 4 के खसरा संख्या 182 वाके ग्राम डाबला पटवार मण्डल अनन्तंगज में आने–जाने हेतु नायब तहसीलदार दबलाना से प्राप्त प्रस्तावित रास्ते की रिपोर्ट अनुसार ग्राम डाबला के खसंरा संख्या 183 जो कि अप्रार्थी छोटा बाई की खातेदारी भूमि है, में से कुल 13 फीट चौडे व 112 फीट लम्बे रास्ते में कुल 0.0137 हैक्टेयर भूमि काम में आवेगी। प्रस्तावित नक्शे अनुसार रास्ता घोषित किया

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

जाता है। प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि की डीएलसी राशि 2830000/रू– प्रति हैक्टेयर है जिसमें से प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि 0.0137 हैक्टेयर भूमि की डी0एल0सी0 राशि 38771/रू– जिसकी दुगनी प्रतिकर राशि 77542/रू का भुगतान अप्रार्थीया को करने/डी0डी0 न्यायालय में पेश करने उपरान्त निर्णय की पालना हेतु नायब तहसीलदार दबलाना को तहर्रीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक :– 30.05.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

30/05/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446